न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : स्वाति आर.टी.एस

मिसल नं.– 01/2024

सरकार बनाम लक्ष्मण पुत्र माडुराम,

जाति– कुम्हार निवासी भापर

निर्णय दिनांकः 12.01.2024

किस्म मुकदमा–अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। इस प्रकरण में सक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल लक्ष्मण पुत्र माडुराम जाति कुम्हार निवासी भापर तहसील सूरजगढ द्वारा रोही मौजा भापर की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 294 के कुल रकबा 9.84 है गै. मु. जोहड में से 0.06 है. भूमि पर एक पक्का मकान बनाकर एवं पशुओं का बाडा बनाकर कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गयी। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। जिसमे उसने उक्त भूमि पर पीढी दर पीढी से निवास करना बताया है। अपने कब्जे के समर्थन में कोई भी साक्ष्य या विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नही किया । चूंकि भूमि की किस्म गै.मु.जोहड है एवं **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में डी.बी. अपील संख्या 1536/03 में दिये गये निर्णय के अनुसार नदी, नाले, जोहड़, पायतन आदि भूमि एवं जलप्रवाह व जल संग्रहण की भूमि के आवंटन/नियमन पर प्रतिबंध है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह व अन्य बनाम स्टेट आफ पंजाब व अन्य सिविल अपील संख्या 1132/2011@ SLP(C) No. 3109/2011 (Arising out of Special Leave Petition (Civil) CC No. 19869 of 2010) निर्णय दिनांक 28 जनवरी 2011 के द्वारा आंवटन प्रतिबन्धित भुमियों की श्रेणियों में आती है।** गैर सायल का प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नही माना जा सकता है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरूद्व बेदखल करने के आदेश दिए जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 20 रूपए कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवायी जावे। पटवारी/गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतू लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

वि0वर्ष 23-24 के क्र0स0प्र0 4 के [illegible] 55 पर राशि 20/- कायम की गई।

(स्वाति)
तहसीलदार, सूरजगढ़